

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषय:-कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/2019-20/कैम्प-8032, दिनांक 25.03.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वाइरस (कोविड-19) के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण के लिए उपकरणों के क्रय हेतु ₹0 4175268.30 (इकतालिस लाख पचहत्तर हजार दो सौ अड़सठ रूपए तीस पैसे) (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5, भाग-1 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के संबंध में दी गयी व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अद्यतन क्रय नीति विषयक शासनादेश संख्या-809/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 14.06.12, शासनादेश संख्या-1878/पाँच-1-2012-3(14)/04 दिनांक 29.11.12 व शासनादेश संख्या-122/पाँच-1-2014-5(100)/13 दिनांक 18.02.14 तथा वित्त (लेखा) अनुभाग-1/उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय संबंधी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण चिकित्सालय में उपलब्ध शैयाओं के मानक के अनुसार है तथा प्रश्नगत उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री प्रस्तावित /क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/क्रयाधिकारी का होगा।
- (3) प्रश्नगत उपकरण का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि० द्वारा किया जायेगा।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को उ०प्र० मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि० को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- (5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत नये उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री को शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.11 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण अपना औसत कालावधि पूर्ण कर चुके हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (6) आहरित धनराशि व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (7) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके, जिससे शासन को भी अवगत करायेंगे।
 - (8) उपकरणों का अनुकूलतम सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित की जाए।
 - (9) प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
 - (10) उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में कदापि नहीं रखा जायेगा।
 - (11) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
 - (12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की स्थापना इससे पूर्व अथवा भविष्य में किसी अन्य योजना के वित्त पोषण से नहीं किया जायेगा।
 - (13) उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (14) प्रश्नगत उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (15) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (16) धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।
 - (17) इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से करके इसकी सूचना यथा समय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-64-जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
उप सचिव

संख्या-88/2020/517 (1)/पाँच-6-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
6. संबंधित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक(नियोजन/बजट/संचारी/संक्रमाक रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
9. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
11. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
15. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
16. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
17. विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
शशिकान्त शुक्ल
उप सचिव